

भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई (देहरादून) – 248011

पत्रांक 562 /5(2)/SCF/Store/FP/2017-18

दिनांक: 25.06.2021

भूसे का नीलामी नोटिस

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में लगभग 125 कुंतल भूसे की खुली नीलामी दिनांक: 19.07.2021 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। उपरोक्त मात्रा लगभग है यह कम अथवा ज्यादा हो सकती है जिसका आकलन बोली लगाने से पहले करने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।

विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तों हेतु कृपया संस्थान की वेबसाईट WWW.cswcrtiweb.org देखें।

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में लगभग 125 कुन्तल भुसे की खुली नीलामी दिनांक: 19-07-2021 को प्रातः 11.00 बजे की जानी है। इस नीलामी की नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:--

1. भूसे की खुली नीलामी दिनांक: 19-07-2021 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 11.00 बजे नीलामी में उपस्थित होंगे उन्हें ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 11.00 बजे के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. भूसे की खुली नीलामी जैसी है जहां है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात भूसे की मात्रा एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक बोलीदाता भूसे का निरीक्षण कार्य दिवस में दिनांक 01.07.2021 से 17.07.2021 तक 11:00 बजे से 4:00 के बीच कर सकते हैं।
4. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले ई0एम0डी की धनराशि रू0 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष हो अथवा नकद रूप में जमा कराना होगा। ई0एम0डी की धनराशि जमा नहीं कराने की अवस्था में नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ वह अपने आधार कार्ड की प्रति भी प्रस्तुत करेंगे।
5. एक ई0एम0डी की धनराशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
6. असफल बोली दाता को ई0एम0डी0 की राशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की ई0एम0डी संस्थान में धरोहर राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा जिसे पूर्ण रूप से भूसा उठाने के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। ई0एम0डी0 की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष में अनुमोदित की जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त पश्चात **उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा** कराना होगा।
9. सफल बोलीदाता को शेष धन राशि नीलामी तिथि के सात दिवस के भीतर जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनके नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।
10. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात नीलामी किये गये **भूसे को 30 दिवस के अन्दर** अनुसंधान प्रक्षेत्र के बाहर ले जाना होगा तथा नीलामी के पश्चात नीलाम किये गये भूसे को

बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

11. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी।
12. सफल बोलीदाता द्वारा क्रम संख्या 9 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् भूसे को बाहर ले जाने का अधिकार दिनांक: 27.07.21 से दिनांक: 25.08.2021 तक होगा, ऐसा ना करने पर बोलीदाता को रूपये 500.00 प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी /गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पेनेल्टी भुगतान के साथ माल उठाने की अधिकतम सीमा 10 दिवस होगी, इसके बाद भी यदि बोलीदाता माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एवं शेष बचे माल यदि कोई रहा हो को भी जब्त कर लिया जायेगा। जिसके लिए बोलीदाता स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा भूसे को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य-दिवस में प्रातः 10-00 बजे से 5-00 बजे के बीच ही कराना होगा।
14. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
15. नीलाम किये गये भूसे के प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने के दौरान सफल बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारी अथवा वाहन को होने वाले किसी भी क्षति की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
16. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।
17. सभी बोलीदाताओं को कोविड-19 की गाईड लाइन के तहत परिसर में मास्क, हैंड सेनिटाईजर व दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. निदेशक, भा0कृ0अ0प0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक